

कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर

यातायात नगर आवासीय योजनान्तर्गत निर्मित एल.आई.जी. भवन/नींव भरे भूखण्ड/ई.डब्लू.एस. भवन एवं व्यवसायिक भूखण्ड

विज्ञापन क्रमांक 12333

दिनांक : 08.12.2020

प्रारूप- ख

// व्ययन नियम 2018 अंतर्गत सूचना //

ग्वालियर विकास प्राधिकरण की यातायात नगर योजना में व्यवसायिक/आवासीय एल.आई.जी. निर्मित भवनों, नींव भरे भूखण्डों, ई.डब्लू.एस. भवनों एवं व्यवसायिक भूखण्ड इकाई हेतु बोली आमंत्रण द्वारा निम्न तालिका में वर्णित भवन/भूखण्ड के व्ययन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

अनु.क्र	भूखण्ड/ईकाईयों का विवरण	भूखण्ड/ईकाईयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमी. में	आरक्षण की श्रेणी संख्या व भूखण्ड क्र.	भूखण्ड/ईकाई का आरक्षित मूल्य	पट्टे (लीज) पर या भूमिस्वामी अधिकारों पर व्ययन	पट्टे (लीज) के प्रकरण वार्षिक पट्टा भाड़ा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	टिम्बर शॉप भूखण्ड - 05	व्यवसायिक	250 वर्गमी.	अनारक्षित-05/क्र.टी-1/ 10,11,12,13, 14	28,00,000/-	यथानियम	यथानियम
2.	बॉडी बिल्डर भूखण्ड - 02	व्यवसायिक	300 वर्गमी.	अनारक्षित-02/क्र. बी-1/ 11, 14	33,60,000/-	यथानियम	यथानियम
3.	भूखण्ड एम.ए.एन.- 1	व्यवसायिक	300 वर्गमी.	अनारक्षित - 01 /क्र. एम.ए.एन.-1	40,80,000/-	यथानियम	यथानियम
4.	भूखण्ड एमएएन.-1	व्यवसायिक	300 वर्गमी.	अनारक्षित - 01/क्र. एम.ए.एन.-16	33,60,000/-	यथानियम	यथानियम
5.	भूखण्ड एजेन्सी-1	व्यवसायिक	300 वर्गमी.	अनारक्षित - 01/क्र. ए/ 14/346	33,60,000/-	यथानियम	यथानियम
6.	भूखण्ड - 1 (ओ.पो.)	व्यवसायिक	180 वर्गमी.	अनारक्षित - 01/क्र. 3	20,16,000/-	यथानियम	यथानियम
7.	भूखण्ड - 1 (ओ.पो.)	व्यवसायिक	60 वर्गमी.	अनारक्षित - 01/क्र. 22	6,72,000/-	यथानियम	यथानियम

अनु.क्र	भूखण्ड/ईकाईयों का विवरण	भूखण्ड/ईकाईयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमी. में	आरक्षण की श्रेणी संख्या व भूखण्ड क्र.	भूखण्ड/ईकाई का आरक्षित मूल्य	पट्टे (लीज) पर या भूमिस्वामी अधिकारों पर व्ययन	पट्टे (लीज) के प्रकरण वार्षिक पट्टा भाड़ा
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	गुमटी भूखण्ड-8	व्यवसायिक	13.50	अनारक्षित-8 क्र. सी. 50, सी. 58, डी. 81, डी. 87, जी. 128, जी. 132, जी. 134, जी. 140	1,51,200/-	यथानियम	यथानियम
9.	एल.आई.जी. भवन-2	आवासीय	भूखण्ड का आकार 60.00 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल 29.30 वर्गमीटर	अनारक्षित-2 क्र. 4, 28	10,23,600/-	यथानियम	यथानियम
10.	एल.आई.जी. नीव भरे भूखण्ड-13	आवासीय	भूखण्ड का आकार 60.00 वर्गमीटर नीव भरा क्षेत्र 29.30 वर्गमीटर	अनारक्षित-13 क्र. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 67	7,53,700/-	यथानियम	यथानियम
11.	ई.डब्ल्यू.एस. भवन बडे - 16	आवासीय	भूखण्ड का आकार 72.00 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल 28.20 वर्गमीटर	अनारक्षित-16, भवन क्र. (भूखण्ड क्र.) ए13 (45), ए16(42), ए20(38), ए21(37), ए27(30), ए28(31), ए29(32), ए30(30), ए31(67), ए38(60), ए39(59), ए40(58), ए42(56), ए43(55), ए48(71), ए49(72)	11,44,800/-	यथानियम	यथानियम
12.	ई.डब्ल्यू.एस. भवन छोटे-4	आवासीय	भूखण्ड का आकार 50.04 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल 19.54 वर्गमीटर	अनारक्षित-4 क्र. बी4, बी6, बी7, बी8	7,94,928/-	यथानियम	यथानियम

इच्छुक व्यक्ति निर्धारित बोली प्रपत्र सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया जीडीए परिसर में रूपये 1000/- + 180/- जी.एस.टी. बैंक ड्राफ्ट/नगद राशि जमा कर दिनांक **10.12.2020**से एकल विण्डों से प्राप्त कर सकते हैं। बोली प्रपत्र को प्राधिकरण की वेबसाइट [www.bidsindia.gov.in](#) से भी डाउनलोड किया जा सकता है जिसमें बोली प्रस्तुतकर्ताओं को अपनी बोली के साथ बोली दस्तावेज शुल्क भी जमा करना होगा। बोली प्रस्तुतकर्ताओं का 10 प्रतिशत धरोहर राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नाम से डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा अपनी बोली के साथ जमा करानी होगी। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **13.01.2021** सायं **5.00** बजे तक निर्धारित की गई है तथा दिनांक **14.01.2021** को सायं **3.00** बजे खोली जायेंगी, बोली प्रस्तुतकर्ता उपस्थित रह सकेंगे। जांच उपरांत पात्र निविदाकारों की आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

नोट :-

1. कॉर्नर या पार्क (ओपन) के सामने भूखण्ड होने पर प्रीमियम का 10 प्रतिशत राशि व पार्क (ओपन) व कॉर्नर दोनों होने की स्थिति में 15 प्रतिशत प्रीमियम का अतिरिक्त देय होगा।
2. निविदाकर्ता निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व स्थल का अवलोकन कर सकते हैं।
3. जी.एस.टी. नियमानुसार लागू होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव मान. आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. लेखा अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर की ओर व्ययन नियम-2018 अनुसार निविदा प्रकाशन एवं उपरोक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट पर समस्त अभिलेख के साथ अपलोड होने पर प्रमाणित कर पेपर प्रकाशन हेतु।
5. साईट इंचार्ज **यातायात नगर** योजना की ओर सूचनार्थ।
6. कार्यालय कमिश्नर ग्वालियर/कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर/कार्यालय कमिश्नर नगर निगम/तहसीलदार,तहसील कार्यालय ग्वालियर की ओर भेजकर निवेदन है कि निविदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने की कृपा करें।
7. कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया जी.डी.ए. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. श्री भास्कर राव काले, प्रभारी मानचित्रकार की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क कर उक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड कराकर अधोहस्ताक्षरकर्ता का सूचित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर

प्ररूप—ग
(नियम 6 (चार) देखिए)
बोली दस्तावेज (Bid Document)

विज्ञापन क्रमांक 12333

दिनांक 08.12.

2020

बोली दस्तावेज में निम्न चार भाग सम्मिलित हैं :-

- भाग एक : सम्पत्ति हेतु बोली की प्रस्तुति बाबत् निर्देश
भाग दो : शपथ पत्र का प्रपत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/अन्य पहचान दस्तावेज)
भाग तीन : सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्तें
भाग चार : बोली प्ररूप
भाग एक : सम्पत्ति हेतु बोली की प्रस्तुति बाबत् निर्देश (Instructions for submission of Bid for Property) (दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात् पात्रता लिफाफे (Eligibility Envelope) में प्रस्तुत किया जाए।
विज्ञापन क्रमांक 12333 दिनांक 08.12.2020 के संदर्भ में यातायात नगर योजना मे व्यवसायिक/आवासीय एल.आई.जी निर्मित भवनो नीव भरे भूखण्डो, ई.डब्लू.एस. भवनो एवं व्यवसायिक भूखण्ड इकाई हेतु, इच्छुक व्यक्ति अपने प्रस्ताव निर्धारित की गई निम्न प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

एक बोली तथा सम्पत्ति के आवंटन बाबत् पात्रता (Eligibility for Bid and Allotment of Property)

1. विज्ञापन में दर्शाई गई प्रत्येक सम्पत्ति की बोली की प्रस्तुति हेतु केवल एक बोली प्ररूप ही लागू होगा।
2. यदि बोली प्रस्तुतकर्ता (Bidder) विज्ञापन में दर्शाई गई एक से अधिक सम्पत्तियों हेतु बोली लगाने के इच्छुक हों तो उसे पृथक, बोली प्ररूप क्रय करने होंगे।
3. ऐसे इच्छुक बोली प्रस्तुतकर्ता जो बेवसाईट से बोली प्ररूपों को डाउनलोड करते हों, उनके द्वारा ऐसी समस्त सम्पत्तियों जिनके लिए बालियां प्रस्तुत की जा रही हैं, बोली दस्तावेज शुल्क के साथ समपत्तियों के लिये पृथक प्ररूप के साथ पृथक बोलियां प्रस्तुत की जाएंगी।
4. किसी अवयस्क ;डपदवतद्ध द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों को मान्य नहीं किया जाएगा तथा उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
5. कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित कोई सम्पत्ति पूर्व में आवंटित की जा चुकी हो, उसे किसी श्रेणी के लिये आरक्षित किसी अन्य सम्पत्ति हेतु आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

दो बोली दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रक्रिया (Procedure for Submission of Bid Documents)

1. बोली प्रस्तुतकर्ताओं को अपनी बोलियां द्वि-लिफाफा पद्धति (Two Envelope System) के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ("लिफाफा ए-पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)" बोली को प्रक्रियाबद्ध करने और पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिये तथा "लिफाफा बी-बोली लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)" विहित बोली प्रारूप में बोली की प्रस्तुति हेतु")।
2. उनके लिए जो प्राधिकरण से बोली प्रारूपों को क्रय करते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा तीन अलग-अलग लिफाफे प्रदान किये जाएंगे "लिफाफा ए पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)" "लिफाफा बी बोली लिफाफा Envelope B-Bid Envelope)" तथा तृतीय लिफाफा (आवरण लिफाफा) (Third Envelope Cover Envelope) के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
3. यदि बोली प्रस्तुतकर्ता ने प्रपत्र को प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया हो तो बोली प्रस्तुतकर्ता को तीन पर्याप्त आकार के पृथक लिफाफों की व्यवस्था करना होगी ताकि प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को सुविधाजनक ढंग से समायोजित किया जा सके, इन्हें सील बंद किया जा सके तथा इन्हें "लिफाफा ए-पात्रता लिफाफा", "लिफाफा बी-बोली लिफाफा" तथा आवरण लिफाफा (Cover Envelope) अंकित करते हुए प्रत्येक लिफाफे पर नाम, विज्ञापन क्रमांक **12333**दिनांक **08.12.2020** तथा **यातायात नगर व्यवसायिक/आवासीय योजना**) एवं सम्पत्ति क्रमांक/प्रकार के साथ-साथ "योजना क्रमांक के अंतर्गत यातायात नगर योजना मे व्यवसायिक/आवासीय एल.आई.जी निर्मित भवनो नीव भरे भूखण्डो, ई.डब्ल्यू.एस. भवनो एवं व्यवसायिक भूखण्ड इकाई, आवंटन हेतु बोली" दर्शाते हुए इसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण को संबोधित करत हुए प्रेषित किया जाएगा।
4. इच्छुक व्यक्तियों को लिफाफा ए तथा लिफाफा बी में निम्न रूप से निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार जानकारी प्रदान करने और उसे उचित रूप से सील बंद करने की अपेक्षा की जाती है। लिफाफा ए तथा लिफाफा बी का आवरण लिफाफे में रखकर इसे सील बंद (सील) किया जाएगा।

तीन बोली की वैधता, बोली प्रतिभूति तथा बोली प्रतिभूति का समपहरण (Validity of Bid, Security and For feiture of Bid Security)

1. बोलियां, बोली प्राप्ति की निर्धारित तिथि से 90 दिवस तक वैध रहेगी।
2. बोली प्रस्तुतकर्ताओं को उस सम्पत्ति जिसके लिये बोली प्रस्तुत की जा रही है, के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत की बोली प्रतिभूति (Bid Security) प्रस्तुत करनी होगी।
3. अन्य बोली प्रस्तुतकर्ता, जिनकी बोलियां स्वीकार न की गई हों, की बोली प्रतिभूति बोली लिफाफा खोलने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
4. ऐसे बोली प्रस्तुतकर्ता जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, तथा जो या तो प्रस्ताव को वापस लेने का इच्छुक हो अथवा जिसके द्वारा बोली दस्तावेज में भुगतान के निबंधन तथा शर्तों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो अथवा जिसके द्वारा पात्रता से संबंधित तथ्यों/जानकारी के संबंध में या अन्यथा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना पाया गया हो, की बोली प्रतिभूति समपहृत कर ली जाएगी।

चार प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/अभिलेख (Information/Documents to be Provided) लिफाफा ए-पात्रता लिफाफा (Envelope A- Eligibility Envelope)

1. ऐसे प्रकरण में जहां बोली-प्रारूप को प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो, या बोली प्रस्तुतकर्ता को बोली दस्तावेज शुल्क (Bid Document Fee) (गैर वापसी योग्य) हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, अथवा जहां बोली प्रारूप प्राधिकरण कार्यालय से क्रय किया गया हो वहां बोली दस्तावेज क्रय के लिये किये गये नगद भुगतान की मूल रसीद प्रारूप की प्रति।

2. बोली प्रतिभूति (Bid Security) हेतु सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत की राशि का मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।
3. अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले निम्न अभिलेख भी संलग्न किये जाएंगे।

अ. वैयक्तिक/संयुक्त आवेदकों हेतु (For Individual/Joint Applicants)

- (एक) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से बोली प्रस्तुत कर रहा हो उसे बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का शपथ-पत्र जिसमें बाली प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पता, प्राधिकृत व्यक्ति से उसका संबंध तथा वे कारण, जिनके द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाना आवश्यक हो गया हो, (यदि यह लागू हो) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।
- (दो) स्वयं/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ-पत्र (Affidavit) (भाग-दो)।
- (तीन) सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र (यदि किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित भूखण्डों/इकाईसों के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो। जहाँ आरक्षित श्रेणी के भूखण्डों/इकाईयों हेतु बोलियों को सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार होंगे।

सरल क्रमांक	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु समक्षम प्राधिकारी
1	जाति वर्ग	एस.डी.ओ./तहसीलदार
2.	विकलांग	सी.एम.ओ.
3.	अन्य हेतु	सक्षम अधिकारी

- (चार) सम्पत्ति हेतु बाली के प्रस्तुतिकरण हेतु निर्देशों की हस्ताक्षरित प्रति (भाग-एक) और सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबंधन एवं शर्तें (भाग-तीन)
 - (पांच) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए)
- ब. किसी विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण कम्पनी/संस्था/इकाई हेतु (For Company/Firm/Entity registered under any Law)**
- (एक) इकाई द्वारा बोली हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी संकल्प की प्रति।
 - (दो) बोली प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संलग्न प्रपत्र (भाग-दो) के अनुसार शपथ-पत्र।
 - (तीन) इकाई के निगमन (Incorporation) संबंधी प्रमाण (नियमावली संबंधी (ज्ञापन-पत्र/भागीदारी विलेख (Partnership Deed)/न्यास विलेख (Trust Deed)/सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख आदि (Documents of Registration of Society etc.)
 - (चार) संपत्ति के लिये बोली की प्रस्तुति हेतु निर्देशों की हस्ताक्षरित प्रति (भाग-एक) तथा संपत्ति के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्तें (भाग-तीन)
 - (पांच) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए)
4. वांछित अर्हकारी जानकारी/अभिलेखों, बोली दस्तावेज शुल्क तथा बोली प्रतिभूति के बिना प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकार किया जाएगा। तथापि प्राधिकरण अपने अनन्य विवेकाधिकार के अनुसार भी किसी भी जानकारी के बारे में मांग कर सकेगा, जैसा कि वह अभिलेखों के सत्यापन/उनकी पर्याप्तता के बारे में पुष्टि करने बाबत और/या उनके सही होने के बारे में आवश्यक समझे।
 5. लिफाफा 'ए' में वित्तीय प्रस्ताव, थ्रुदंदबपंस वभिन्न/बोली से संबंधित कोई जानकारी सम्मिलित नहीं की जाएगी तथा लिफाफा 'ए' में यदि ऐसी कोई जानकारी प्रस्तुत की, जाती है तो ऐसे प्रस्ताव/बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

लिफाफा 'बी' – बोली लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)

लिफाफा 'बी' में केवल बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित बोली/प्ररूप में सम्मिलित होगी।
(भाग-चार)

पांच बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि तथा बोली प्रस्तावों को खोलने की प्रक्रिया (Bid Due Date and Opening of Bids)

1. बोलियों को 1, रविनगर स्थित प्राधिकरण कार्यालय में सम्पदा अधिकारी (पदनाम) के समक्ष 13.01.2021 सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. बोलियों को 1, रविनगर स्थित प्राधिकरण कार्यालय ग्वालियर में कक्ष क्रमांक मीटिंग हॉल में निविदा समिति के समक्ष दिनांक 14.01.2021 सायं 3.00 बजे खोला जावेगा। ऐसे बोली प्रस्तुतकर्ता, जो बोली खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हों, वे बोलियों को खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
3. बोली खोलने के प्रथम चरण में केवल पात्रता (Eligibility envelope) को ही खोला जाएगा तथा प्राधिकरण बोली प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का परीक्षण करेगा।
4. अभिलेखों के परीक्षण के बाद केवल पात्र पाये गये बोली प्रस्तुतकर्ताओं के बोली लिफाफों को निविदा समिति द्वारा खोला जावेगा। ऐसे बोली प्रस्तुतकर्ता जो बोली प्रस्तुतकर्ता जो बोली लिफाफे को खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हों, वे बोली खोलने के समय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

छह उच्चतम बोली प्रस्तुतकर्ता की घोषणा (Declaration of Highest Bidder)

1. सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य से नीचे प्रस्तुत की गई दरों पर बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. सामान्यतः ऐसे उच्चतम बोली प्रस्तुतकर्ता को, जो आरक्षित मूल्य से अधिक की दर प्रस्तुत करता है, बोली लिफाफों को खोलने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्यक्षीन रहते हुए चयनित बोली प्रस्तुतकर्ता घोषित किया जाएगा।
3. प्रस्तुत की गई बोलियों का अंतिम परिणाम बोली लिफाफा खोलने के पन्द्रह दिन के भीतर घोषित किया जाएगा तथा इसे प्राधिकरण क सूचना-पटल के साथ-साथ उसकी वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
4. प्राधिकरण के पास किसी भी बोली/समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

सात पते में परिवर्तन तथा बोली प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति का पता लगाना (Change of Address and tracking of Bid)

1. बोली प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बोली प्रस्तुतकर्ता से पत्र व्यवहार हेतु उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को लिखित में संसुचित किया जाएगा।
2. प्राधिकरण किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन के फलस्वरूप या किसी प्रकार के डाक संबंधी विलम्ब के कारण किसी कार्यवाही में विलम्ब के लिये किसी रीति में उत्तरदायी नहीं होगा।
3. बोली प्रस्तुतकर्ताओं के परामर्श दिया जाता है कि वे प्राधिकरण के सूचना पटल/वेबसाईट पर बोली के संबंध में किसी भी सूचना के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें।

भाग-दो : शपथ पत्र हेतु प्रपत्र (Format for affidavit)
(सील बंद लिफाफे 'ए' पात्रता लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)


(शपथ-पत्र को गैर-न्यायिक स्टाम्प (Non-judicial stamps) पर विधिवत नोटरी प्रमाणीकरण पश्चात् प्रयोज्य दरों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए)

शपथ-पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों के संबंध में अपेक्षणीय)

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूँ कि :-

मेरा नाम :
पिता/पति का नाम :
व्यवसाय :
आयु :
पता :
वार्षिक आय :



2. यहकि, मैं, (नाम) (बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम) की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ तथा मुझे इकाई के संकल्प के अनुसार की ओर से बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकरण किया गया है (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां बोली प्रस्तुतकर्ता कोई कम्पनी/फर्म/इकाई है।)
3. यहकि, मैं नाम (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम) को संलग्न शपथ-पत्र के अनुसार मेरी ओर से बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत कर रहा हूँ (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां बोली प्रस्तुतकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति की बोली प्रस्तुतकर्ता की ओर से बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है।)
4. यहकि, मुझे मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी प्राधिकरण की ओर से सम्पत्तियों की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत कोई सम्पत्ति आवंटित नहीं की गई है (ऐसे प्रकरण में लागू जहाँ बोली प्रस्तुतकर्ता आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो)।
5. यहकि, बोली के अंतर्गत प्रदान की गई समस्त जानकारी सही है तथा इसमें किन्हीं भी सारभूत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।
6. यहकि, मैंने बोली निबंधन तथा शर्तों तथा सम्पत्ति के व्ययन के बारे में प्राधिकरण के नियमों को भली भांति समझ लिया है तथा ये निबंधन तथा शर्तें/नियम मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं।
7. यहकि, यदि बोली के अंतर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई किसी जानकारी को गलत/दुर्व्यपदेशनकारी पाया जाता है, तो प्राधिकरण को मेरी बोली को अस्वीकार करने तथा प्रतिभूति राशि को समपहृत करने का अधिकार होगा तथा तत्पश्चात् इस बोली के अंतर्गत आवंटित की गई सम्पत्ति से संबंधित पट्टे (लीज) को भी रद्द करने का अधिकार होगा।

8. यहकि, यह शपथ-पत्र प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित सम्पत्ति अर्थात् के आवंटन हेतु बोली प्रस्तुत करने के लिए मेरे द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक

अभिसाक्षी
(बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

:: सत्यापन ::

मैं, पिता/पति श्री सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न ही इसमें कुछ छिपाया गया है। यह सत्यापन आज दिनांक को किया गया।

अभिसाक्षी
(बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

1. जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।
2. ऊपर दिये गये प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र मान्य नहीं होगा।

भाग तीन : सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्तें
(Terms and conditions for Allotment of Property)

(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात्, पात्रता लिफाफे) (Eligibility Envelope) में प्रस्तुत की जाए)

एक भुगतान की शर्तें

1. सफल बोली प्रस्तुतकर्ता (Bidder) को बोली की स्वीकृति के बाद मांग-पत्र जारी होने की तिथि के तीस दिन के भीतर कुल उद्धरित (Quoted) अधिमूल्य (प्रीमियम) की 25 प्रतिशत राशि (बोली प्रतिभूति राशि के समायोजन उपरांत) जमा करनी होगी।
2. सफल बोली प्रस्तुतकर्ता को बोली की स्वीकृति के बाद मांग-पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर एक वर्ष की अवधि की अग्रिम पट्टा भाड़ा राशि तथा अनुबंध पत्र की एक प्रति जिसमें आवंटन की निबंधन तथा शर्तें शामिल होंगी, प्रयोज्य दरों के अनुसार मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर (Non-judicial stamps) जमा करनी होगी।
3. आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की 75 प्रतिशत राशि एवं एक वर्ष का अग्रिम पट्टा भाड़ा राशि तथा अनुबंध-पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के बाद ही आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
4. जहाँ सफल बोली प्रस्तुतकर्ता निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उपरोक्त भुगतान जमा करने में असफल रहता है वहाँ प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा बोली प्रतिभूति राशि के समपहृत कर सकेगा। जब तक कि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार लिखित रूप में उक्त समय सीमा में वृद्धि नहीं की गई है।
5. पट्टाधारी (Lessee) अथवा हस्तांतरिती (Transferee) शासन, नगर पालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी साविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचना की गई तिथि से भुगतान हेतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
6. आवंटिती (Allottee)/हस्तांतरिती (Transferee) द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि के अवशेष प्रतिशत भाग का भुगतान त्रैमासिक बराबर किस्तों में प्रावधिक आवंटन पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित समयावधि के भीतर सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से किया जाएगा। किस्तों का विवरण **प्रावधिक आवंटन पत्र में (मांग पत्र) उल्लेखित किया जावेगा।**
7. प्राधिकरण द्वारा अधिकतम 2 वर्षों की छूट किस्तों के भुगतान हेतु प्रदान की जा सकेगी। ऐसी विस्तारित अवधि के संबंध में किस्त की अवशेष देय रकम 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रभारित किया जाएगा।
8. प्रावधिक आवंटन पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि के बाद भुगतान बकाया कोई राशि लम्बित होने पर चूककर्ता को आवंटन की तारीख से शेष राशि पर ब्याज प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से भुगतान करना होगा।
9. यदि आवंटिती प्राधिकरण के आवंटन निरस्त करने का नोटिस प्राप्त होने के एक माह में विहित अनुसूची अनुसार समस्त लंबित किस्तें मय ब्याज एवं दांडिक ब्याज (संबंधित किस्त की देय तारीख से 5 प्रतिशत की दर पर) का भुगतान कर देता है, तो प्राधिकारी आवंटन निरस्त करने का नोटिस वापस लेगा।

यह भी कि यदि उपरोक्त वर्णित खण्ड 9 के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार भुगतान न किये जाने के कारण आवंटन निरस्त किए जाने पर, प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति के अधिमूल्य की 10 प्रतिशत रकम के बराबर रकम राजसात कर ली जाएगी तथा शेष मूलधन की रकम आवंटी को लौटा दी जाएगी। आवंटी को इस प्रत्यर्पण राशि पर ब्याज का दावा करने की पात्रता नहीं होगी।

10. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम या अधिक पाया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि को आनुपातिक रूप से कम या अधिक किया जाएगा।
11. यदि किसी विशिष्ट भूमि का पट्टाधारी उसे आवंटित किये गये भूखण्ड से अनुलग्न भूमि (appurtenant land) के आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत करता है तो प्राधिकरण अपने पूर्ण विवेकाधिकार तथा निर्णय के अधीन ऐसी अतिरिक्त भूमि का आवंटन भूमि की आवंटन तिथि को प्रचलित कलेक्टर गाइडलाईन दर (guideline rates) पर अथवा ऐसी दर पर जिस पर आवंटिती द्वारा पूर्व में धारित भूखण्ड आवंटित किया गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो, पर कर सकेगा।

दो सम्पत्ति को पट्टे पर प्रदान करने संबंधी शर्तें (Terms for Lease Property)

1. सम्पत्ति पट्टा आधार पर (Lease Basis) 30 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जाएगी (जब तक अन्यथा शासकीय सम्पत्तियों की दशा में, ऐसी सम्पत्तियों के लिये जो प्राधिकरण के अंतर्गत वेष्टित हों या जिनका प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा हो तथा जो विशिष्ट रूप से सामान्य/विशेष स्वीकृति के अनुसार अथवा प्राधिकरण की किसी सम्पत्ति के बारे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियंत्रित की जा रही हो) जिनकी कालावधियों का विस्तार 30 वर्ष की दो अतिरिक्त अवधियों के लिए किया जा सकेगा, जिसके अनुसार प्राधिकरण को वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रत्येक नवीनीकरण के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत वार्षिक पट्टा भाड़ा के 50 प्रतिशत वृद्धि करने का अधिकार होगा।
2. सम्पत्ति के संबंध में वार्षिक पट्टा भाड़ा रुपये (इसे बोली प्रक्रिया के उपरांत भरा जाए, यह राशि शासन की देय पट्टा भाड़ा + (जमा) प्राधिकरण को आवंटित शासकीय भूमि पर पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों पर दस प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में अथवा भूमिस्वामी अधिकारों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा धारित भूमि पर पट्टे पर प्रदान की गई सम्पत्तियों हेतु प्रभारित अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 0.1 प्रतिशत होगी) प्रभारित किया जाएगा।
3. सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक पट्टा भाड़े का भुगतान प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से देय होगा तथा प्रतिवर्ष 01 जून को या इससे पूर्व किया जाएगा। प्रथम वार्षिक पट्टा भाड़ा उस वित्तीय वर्ष के जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा आधिपत्य सौंपे जाने की तिथि अधिसूचित की गई हो, एक जून से देय होगा।
4. जहां पट्टाधारी द्वारा देय वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का भुगतान निर्धारित तिथि से तीन माह से अधिक अवधि हेतु लम्बित रहता है वहां प्राधिकरण द्वारा वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि की वूसली की प्रक्रिया भू-राजस्व की बकाया रूप में प्रारी की जा सकेगी।
5. सम्पत्ति का आधिपत्य जैसा है जहाँ है के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो) तथा प्राधिकरण भूमि/भूखण्ड पर किसी भराई/समतलन के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
6. सम्पत्ति का आधिपत्य, अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष की अग्रिम वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का पूर्ण भुगतान के बाद ही सौंपा जाएगा (जब तक इस बारे में नियम 13 के अंतर्गत राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन द्वारा संपत्ति के आवंटन के विशेष पद्धतियों में यह प्रावधान न कर दिया गया हो, जिसका प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया हो)।

7. अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् ही प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी ,मज्जम वफिबमतद्ध द्वारा सम्पत्ति के वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा सम्पत्ति का पट्टा उक्त अधिसूचित तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, भले ही ग्राही द्वारा सम्पत्ति का भौतिक रूप से अधिग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
8. अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा के अनुसार आवंटिती द्वारा पट्टा विलेख (Lease Deed)/दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से तीन माह के भीतर पट्टाधारी (Lessee) को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से पट्टे का पंजीकरण कराना होगा। पट्टाधारी पट्टा अभिलेख के पंजीकरण के संबंध में समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पट्टाधारी को पट्टे के पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।
9. पट्टाधारक, पट्टे की शर्तों के अधीन, किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति का अंतरण प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कर सकेगा और उसे प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंतरण शुल्क (Transfer Fees) की राशि जमा करना होगी, जो अंतरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन तिथि को प्रचलित प्रयोज्य कलेक्टर गाइडलाईन दर (Applicable Guideline Rate) के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। जहां हस्तानांतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यागन (Natural Devolution of Heirship) के दौरान चाहा गया हो, वहां कोई अंतरण शुल्क देय न होगा।
10. पट्टाधारी, पट्टा विलेख के पंजीयन उपरांत प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर भूखण्ड पर निर्माण कार्य के प्रयोजन से ऋण प्राप्ति हेतु भूखण्ड (प्लॉट) को बंधक (Mortgage) रख सकेगा।
11. पट्टाधारी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक हो, को प्राधिकरण कार्यालय में इस हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
12. ऐसे प्रकरण में जहां पट्टाधारी विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन करता हो, वहां प्राधिकरण सम्पत्ति के पट्टे को रद्द कर सकेगा। पट्टे के निरस्तीकरण पर प्राधिकरण को सम्पत्ति में पुनःप्रवेश का अधिकार सुरक्षित होगा।

तीन आवंटित सम्पत्तियों के संबंधित में विकास तथा भवन निर्माण विनियम (Development and Building Regulations for Allotted Properties)

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के बारे में नामोदिष्ट उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
2. पट्टाधारी को नगर निवेश विभाग से नियोजन अनुमति (Planning Permission) (जहां नियोजन अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो) तथा ग्वालियर नगर पालिक निगम की परिषद द्वारा प्रदान की गई भवन नक्शे की स्वीकृति अथवा उस प्राधिकारी की जो भवन नक्शे की स्वीकृति हेतु सक्षम हा, स्वीकृति प्राप्त किये बगैर भवन निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। भूखण्ड पर किया गया कोई भी निर्माण कार्य जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, को अनाधिकृत माना जाएगा तथा ऐसे कृत्य को पट्टे की शर्तों का उल्लंघन माना जाकर तदनुसार कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

3. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसे नामोदिष्ट उपयोग से पृथक होना पाया जाता है और/या कोई निर्माण गतिविधि स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही सम्पन्न की जाती है तो प्राधिकरण को आवंटन/पट्टा रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थितियों में पट्टाधारी को किसी सांविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर अधिरोपित किसी अर्थदण्ड का भुगतान भी करना होगा।
4. पट्टाधारी के सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद अथवा सेवा प्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जल प्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां पट्टाधारी नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
5. पट्टाधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।
6. प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड के आधिपत्य के सौंपे जाने की तारीख से **तीन** वर्ष के भीतर स्वीकृत नक्शों के अनुसार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करना आज्ञापक होगा। प्राधिकरण पट्टाधारी के अनुरोध पर ऐसी अवधि में वृद्धि, वृद्धि के प्रत्येक वर्ष के लिये उस पर रुपये 10,000/- के अर्थदण्ड के साथ आधिपत्य प्रदान करने की तारीख से छह वर्ष की अवधि पूर्ण करने के अध्यक्षीन अधिरोपित कर सकेगा। आधिपत्य प्रदान करने की तारीख से छह वर्ष की पूर्णता पर यदि पट्टाधारी ने अनुज्ञेय निर्मित क्षेत्रफल के न्यूनतम दस प्रतिशत भाग पर निर्माण कार्य पूर्ण न किया गया हो, तो प्राधिकरण द्वारा ऐसे पट्टाधारी पर रुपये 1000/- प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा जब तक कि ऐसा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर लिया जाता है अथवा व्ययन नियम 2018 अनुसार 100/- प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा।

चार आवंटन का अन्तरण (Transfer of Allotment)

सम्पत्ति के आवंटन का अन्तरण सम्पत्ति की आवंटन की तारीख से छह माह की अवधि के समाप्त होने के उपरांत ही किया जा सकता है। आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवंटित की गई सम्पत्तियों के बारे में अंतरण, केवल ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञेय किया जाएगा, जो आरक्षण की उसी श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखता हो जिस हेतु उक्त सम्पत्ति को पूर्व में आरक्षित थी अन्तरण शुल्क का भुगतान अधिमूल्य (प्रीमियम) अथवा तारीख को प्रचलित प्रयोज्य कलेक्टर गाइडलाइन दर इनमें से जो भी अधिक हो, की एक प्रतिशत की दर से भुगतान योग्य होगा।

पांच अन्य निबंधन तथा शर्तें (Other Terms and Conditions)

1. यदि बोली के निबंधनों तथा शर्तों में तथा "मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियां का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2018" के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/सांविधिक उपबन्धों में कोई विसंगति उद्भूत होती है तो पश्चात्वर्ती उपबंध अभिभावी हों तथा पट्टेदार पर बंधनकारी होंगे।
2. यदि योजना के अंतर्गत कोई विशेष निबंधन तथा शर्तों का प्रावधान किया गया हो, जैसा कि तत्संबंधी विज्ञापन में दर्शाया गया हो, बोली प्रस्तुतकर्ता/सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिये बंधनकारी होगी।
3. आवंटन/पट्टे के निबंधन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यदि इस प्रकार कोई विवाद उत्पन्न हो तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।

4. जहा कहीं शब्द "प्राधिकरण (Authority)" उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधिगण, नामनिर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञापित समनुदेशिती Permitted assignees भी शामिल होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द "पट्टाधारी (Lessee)" उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।

छह विशेष शर्तें

1. विज्ञापन के अंतर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन तथा भाग-एक, भाग-दो, भाग-तीन दस्तावेज के अभिन्न भाग है। बोली प्रस्तुतकर्ताओं को भाग-एक, भाग-दो, भाग-तीन के समस्त पष्ठों पर हस्ताक्षर करने ओर उन्हें लिफाफा "ए" पात्रता दस्तावेज" में प्रस्तुत करना होगा। बोली प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण द्वारा बेवसाईट में अधिसूचना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी बोली दस्तावेज में जारी किये ये कोई संशोधन बोली प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी न होगा।

दिनांक

बोली प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

भाग चार : बोली प्ररूप (Bid Form)

..... भूखण्ड/इकाई हेतु बोली प्ररूप (इसे सील बंद लिफाफा 'बी' में प्रस्तुत किया जाए)

विज्ञापन क्रमांक **12333**

दिनांक **08.12.2020**

बोली प्ररूप क्रमांक

मूल्य रुपये /-

अहस्तान्तरणीय (Not Transforable)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम

आवेदक का पासपोर्ट
आकार का छायाचित्र
यहाँ चिपकाया जाए

महोदय,

आपके विज्ञापन क्रमांक **12333** दिनांक **08.12.2020** के संदर्भ में, जो योजना क्रमांक के अंतर्गत भूखण्ड/इकाईयों के आवंटन के लिए हैं तथा जिसे (योजना के नाम से) अधिसूचित किया गया है, मैं/हम मेरी/हमारी बोली पट्टे (लीज)/भूमि स्वामी अधिकारों के आधार पर तथा मैं/हम प्राधिकरण द्वारा जारी बोली प्ररूपों सभी निबंधनों तथा शर्तों से आबद्ध होने की सहमति व्यक्त करता हूँ/करते हैं। इस बोली प्ररूप के एकीकृत भाग के रूप में भूखण्ड/इकाई के आवंटन हेतु प्रस्तुत चाहता हूँ/चाहत है/ मैं/हम पूर्णतया विधिवत स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बोली दस्तावेजों के समस्त निबंधों तथा शर्तों को पढ़ लिया गया है, स्पष्टतया समझ लिया गया है तथा उनका पालन करने हेतु अपनी/हमारी सहमति व्यक्त करता हूँ/करते हैं, जो प्राधिकरण की बोली-प्रक्रिया तथा भूखण्ड/इकाई के आवंटन की शर्तों तक सीमित न होकर, उसे सम्मिलित करते हुए होंगे। मैं/हम यहां पर इस बोली के साथ निबंधन तथा शर्तों की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं। मैं/हम अपने बारे में वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं :-

आवेदक के मूल ब्यौरे :

01	बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम (यदि बोली कम्पनी/फर्म/किसी अन्य इकाई के नाम से प्रस्तुत की जा रही है तो इसका नाम लिखें।	1. 2. (संयुक्त आवेदकों के प्रकरण में) 3. (संयुक्त आवेदकों के प्रकरण में)
02	बोली प्रस्तुतकर्ता संस्था/कम्पनी के निदेशक/निर्देशकों/का नाम (कम्पनी/संस्था/किसी अन्य इकाई के प्रकरण में)
03	बोली प्रस्तुतकर्ता के पिता/पति का नाम
04	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता दूरभाष/मोबाईल ई-मेल पता (कार्यालय) (निवास)

हमने यह बोली प्ररूप प्राधिकरण के कार्यालय से (प्राधिकरण का नाम) द्वारा जारी रसीद क्रमांक दिनांक के माध्यम से प्राप्त किया है (नगद भुगतान की मूल रसीद लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत की गई है)। हमारे द्वारा यह बोली प्ररूप प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तथा बोली प्ररूप के मूल्य स्वरूप मेरे/हमारे द्वारा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्रमांक दिनांक राशि रुपये (शब्दों ओर अंकों में दर्शायें) लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत कर दिया गया है।

मैं/हम इस बोली को स्पष्ट समझ के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं कि मेरी/हमारी बोली इसके प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिन तक की अवधि तक विधिमान्य रहेगी।

मैं/हम अपनी बोली के संबंध में बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्र. दिनांक रुपये (शब्दों और अंकों में दर्शाए) प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं तथा इसे लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत किया गया है। मुझे/हमें यह भी संज्ञान है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही बोली अप्रतिसंहरणीय है तथा यदि मैं/हम इसे प्रतिसंहत करता हूँ/करते हैं तो इस बोली के साथ जमा की गई बोली प्रतिभूति राशि रुपये (शब्दों और अंकों में दर्शाए) प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं तथा इसे लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत किया गया है। मुझे/हमें यह भी संज्ञान है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही बोली अप्रतिसंहरणीय है तथा यदि मैं/हम इसे प्रतिसंहत करता हूँ/करते हैं तो इस बोली के साथ जमा की गई बोली प्रतिभूति राशि रुपये (शब्दों और अंकों में दर्शाए) समपहू कर ली जाएगी।

मैं/हम यहां यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि लिफाफा 'ए' में प्रदत्त समस्त जानकारी सत्य व सही है तथा प्रदत्त की गई जानकारी के बारे में मैं/हम पूर्ण दायित्व लेता हूँ/लेते हैं। मैं/हम यह सहमति भी प्रदान करता हूँ/करते हैं कि प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जैसी कि आवश्यक हो अथवा बोली को पूरक किये जाने के संबंध में अथवा इसे सत्यापन किये जाने बाबत चाही जाए, मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इस बोली की अर्हताओं के अनुसार इस बोली के लिए अपना पस्ताव प्रस्तुत करने को योग्यता धारित करता हूँ/करते हैं। मुझे/हमें यह भी अवगत है कि मेरे/हमारे द्वारा बोली में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत/तथ्यों का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण (misrepresentation of facts) पाया जाता है अथवा यदि मैं/हम भुगतान की शर्तों के अनुसार राशि जमा करने में असफल रहते हैं तो प्राधिकरण को हमारे द्वारा प्रस्तुत बोली को निरस्त करने का तथा बोली प्रतिभूति राशि को समहृत करने का अधिकार होगा।

मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि प्राधिकरण इस बोली को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा न ही वह किसी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य है तथा न ही बोली प्रस्तुतकर्ताओं को बोली प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किये जाने हेतु बाध्य है तथा यह भी कि यह बिना कोई कारण दर्शाये अथवा अन्यथा हमारी बोली को रद्द कर सकता है तथा एतद् द्वारा किसी भी कारण से भले वह जो भी हो, से इसे चुनौती प्रदान करने संबंधी हमारे अधिकार के अधित्यंजन का अधिकार रखता है।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से भिन्न ऐसे मामलों में जो मुझे/हमें न तो किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा न ही किसी नियामक प्राधिकरण ने मुझे/हमें आरोपी ठहराया है तथा न ही मेरे/हमारे विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये हैं जो इस बोली के लिये आवेदन किये जाने बाबत मेरी/हमारी योग्यता के बारे में किसी प्रकार का संदेह प्रकट कर सके या किसी गंभोर अपराध से संबद्ध हो जो समाज की नैतिक भावना का उल्लंघन करता हो। मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों में सरकार के किसी अभिकरण द्वारा मुझे/हमें न तो कोई आरोप पत्र जारी किया है तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा मेरे/हमारे द्वारा किये गये किसी अपराध के संबंध में मुझे/हमें दोषी ठहराया गया है।

मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम आवंटित भूखण्ड/इकाई का उपयोग पट्टा विलेख (Lease Deed) के निबंधनों तथा शर्तों एवं राज्य के और/या परिनियम के अंतर्गत गठित किसी अन्य अभिकरण की प्रयोज्य विधियों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करूंगा/करेंगे। मैं/हम ऐसे पट्टा विलेख के समस्त निबंधनों तथा शर्तों से सहमति भी व्यक्त करता/करते हैं जिसका निष्पादन भूखण्ड/इकाई का आवंटन होने पर किया जाएगा जिसमें सम्मिलित है जिस

पर सीमित नहीं है वार्षिक पट्टा भाड़ा (पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों हेतु) का भुगतान प्राधिकरण के पट्टे को रद्द करने संबंधी अधिकार प्रयोज्य विकास नियंत्रण विनियम, भवन निर्माण उपविधियों (Building bye-laws), भवन निर्माण विनियमों का अनुसरण शुल्क दरों तथा करों के भुगतान के दायित्व जैसा कि अंतर्गत प्रयोज्य किसी विधि के अंतर्गत सम्पत्ति को लागू हो।

मैं/हम सम्पत्ति के बारे में मेरी/हमारी बिना शर्त तथा अनर्हित (unconditional and unqualified) अपनी बोली निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

सम्पत्ति क्रमांक (अंकों में)	सम्पत्ति क्रमांक (शब्दों में)	बोली दर प्रति वर्गमीटर (अंकों में)	बोली दर प्रति वर्गमीटर (शब्दों में)

मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि सम्पत्ति का क्षेत्रफल सम्पत्ति के घोषित क्षेत्रफल से कम पाये जाने की दशा में बोली की कुल राशि का समायोजन तदनुसार आनुपालिक दर के अनुसार किया जाएगा।

मैं/हम बोली राशि का अवशेष 75 प्रतिशत भुगतान से संबंधित निबंधन तथा शर्तों तथा मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की अदायगी में विलम्ब/चूक किये जाने पर प्रयोज्य ब्याज दरों तथा लागू अर्थदण्ड का भुगतान किये जाने की सहमति भी व्यक्त करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि संपत्ति क्रमांक तथा बोली दरों का रु. प्रति वर्गमीटर में अंकों तथा शब्दों में उल्लेख किया जाना बोली को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य है।

मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि बोली पत्र में नाम और/सम्पत्ति संख्या में उपरिलेखन (overwriting) या त्रुटि या परिवर्तन होने पर बोली प्रस्ताव को अविधिमान्य बना देगा।

उपरोक्त साक्ष्य में, मैं/हम बोली प्रपत्र की शर्तों के अधीन एवं के अनुसार सम्पत्ति के आवंटन के संबंध में यह बोली प्रस्तुत करता हूँ/करते ह।

दिनांक

स्थान

भवदीय

बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
यदि बोली कम्पनी/संस्था/किसी अन्य संविधान :
के अंतर्गत पंजीकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत की जा रही

